जब तक शत-प्रतिशत वसूली नहीं होती होल्ड रहेगी स्पैरो की कमीशन राशि, स्पैरो के पास वसूली के लिए कम समय, स्पैरो अपने परफारमेंस में लाए सुधार

भिलाई नगर/ निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने संपत्तिकर एवं अन्य टैक्स वसूली को लेकर अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी , उपायुक्त सुनील अग्रहरी, राजस्व अधिकारी एनआर रत्नेश, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे , बालकृष्ण नायडू, मलखान सिंह सोरी, संपत्तिकर विभाग के बी. एल. असाटी , स्पैरो सॉफ्टेक लिमिटेड के कर्मचारी इत्यादि उपस्थित रहे। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बैठक में सख्त लहजे में कहा कि स्पैरो सॉफ्टेक लिमिटेड के कर्मचारी डोर टू डोर टैक्स कलेक्शन को युद्ध स्तर पर करें। टैक्स वसूली के लिए अब ज्यादा समय स्पैरो के पास नहीं है, केवल फरवरी और मार्च माह मिलाकर 2 माह ही टैक्स कलेक्शन के लिए शेष है। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन के एवज में दी जाने वाली 7.15% कमीशन राशि तब तक होल्ड रखी जाएगी जब तक की 100% वसूली न हो जाए। इधर सहायक राजस्व अधिकारियों पर भी निगम आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की , उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कुर्की वारंट का अधिकार सहायक राजस्व अधिकारियों को दिया गया है, बावजूद इसके कार्रवाई में ढिलाई करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 15 दिवस का समय सहायक राजस्व अधिकारियों को दिया है। जिनका परफारमेंस सही नहीं है उन्हें नोटिस भी जारी किया जाएगा। हर जोन की बारी-बारी से समीक्षा आयुक्त ने की। स्वविवरणी की जांच पर भी निगमायुक्त ने नाराजगी जाहिर की , उन्होंने कहा कि करदाता द्वारा दी जाने वाली स्वविवरणी में से 10% स्वविवरणी की नियमित रूप से सहायक राजस्व अधिकारी जांच करें और जांच उपरांत कार्यवाही जोन स्तर पर नियमानुसार किए जाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। गलत स्वविवरणी देने वाले करदाताओं पर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी आदेश निगमायुक्त ने बैठक में दिए। इसके अलावा संपत्तिकर , समेकितकर, शिक्षा उपकर, जलकर एवं भू भाटक की वसूली पर भी फोकस करने के निर्देश आयुक्त ने दिए। टैक्स वसूली पर लगातार नजर रखने के निर्देश निगम के उच्च अधिकारियों को आयुक्त ने दिए है। आयुक्त ने स्पैरो सॉफ्टेक लिमिटेड के कर्मचारियों से कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें और रणनीति तैयार कर लक्ष्य को हासिल करने धरातल पर अपनी टीम को मजबूत करें। उन्होंने स्पैरो के काम पर गहरी नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि वसूली में कोताही बरती गई तो अनुबंध के नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के संपत्तिकर जमा करने के लिए ज्यादा दिन

शेष नहीं है। मार्च माह के अंतिम दिन तक टैक्स जमा करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी परंतु इसके बाद यदि टैक्स जमा किया गया तो अधिभार और शास्ती की राशि करदाता को चुकानी होगी। इसके साथ ही ऐसे करदाताओं को बकायेदारों की सूची में शामिल किया जाएगा तथा कुर्की जैसी कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई करदाताओं से अपील करता है कि समय पर अपना संपत्तिकर एवं अन्य कर जमा कर दें और अनावश्यक अधिभार तथा कार्रवाई से बचें।